संख्या-15/2021/775 /78-2-2021-6आई.टी.(2)/2005

प्रेषक,

कुमार विनीत
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊः दिनांकः 27 मार्च,2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्टेट डाटा सेंटर की प्रतिबद्ध देयताओं के भुगतान एवं अपरिहार्य व्ययों को वहन करने हेतु धनराशि रू0 4,64,63,989.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक यूपीडेस्को के पत्र संख्या-UPSDC/Budget/0096, दिनांक 12-02-2021, पत्र संख्या-UPSDC/Budget/0206, दिनांक 25-02-2021 एवं पत्र संख्या-UPSDC/Budget/0510, दिनांक 12-03-2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में संलग्न तालिका के कालम 2 एवं 3 के अनुसार स्टेट डाटा सेंटर की प्रतिबद्ध देयताओं एवं विभिन्न आईटी कम्पोनेन्टस के क्रय किये जाने पर उत्पन्न देयताओं के भुगतान हेतु धनराशि रू0 4,64,63,989.00 (रू0 चार करोड़ चौसढ लाख तिरसठ हजार नौ सौ नवासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृत इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इसके भुगतान में संबधित योजना में पारित एमओयू की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक,यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
5. उक्त धनराशि का उपयोग एसडीसी के आपरेशनल व्ययों एवं एस.डी.सी. योजना अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
7. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद उद्योग निदेशक,कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर राजकोष से किया जायेगा।
9. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
10. भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलो को सत्यापित करा लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. प्रशासकीय विभाग स्टेट डाटा सेन्टर की Functionalties का cloud tecnology पर shift किये जाने हेतु timeline तैयार करेगें। जब तक उक्त् कार्यवाही नहीं हो जाती तब तक अद्यावधिक सृजित लंबित देयताओं का ही भुगतान किया जा सकेगा।
12. प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को धनराशि से सम्बन्धित आकडों की सुद्वता सुनिश्चित करेगें।
13. स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-3-2020, 07-04-2020, 11-04-2020 व 18-05-2020 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
14. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-17-स्टेट डाटा सेंटर-42अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
15. यह आदेश वित्त विभाग के अ0 शा0 प0 संख्या-ई-6/280 /दस-2020 दिनांक 27-03-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,
कुमार विनीत
विशेष सचिव

संख्या-15 /2021/ 775 (1)/78-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
5. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2 ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-15/2021/775/78-2-2021-06आई.टी.(2)/2005 दिनांक 27-03-2021 का संलग्नक

Sr	Particulars/ work / It components	Amount (Rs.)
1	2	3
1	AMC for Server and related items supplied and installed at SDC for 02 quarters (02.08.2020 to 01.02.2021)	5,52,116.00
2	Electricity Bill for the period 01.12.2020 to 01.02.2021	28,46,533.00
3	Orbit/UPSDC /2021/007 dated: 09-02-2021(Reimbursement of Diesel Refilling at UPSDC)	74,180.00
4	Orbit/UPSDC /2021/008 dated: 09-02-2021 (Quarterly SLA Tax Invoice for Q01 (From 1th November 2020 to 31th january 2021)	73,51,766.00
5	AMC of IT Hardware Compnents (22Networking Items and 16 Servers) for 5th Quarter	16,98,220.00
6	Rack Server 16 core	12,40,368.00
7	Rack Server 32 core	30,05,772.00
8	Invoice no. FBBLO921B46067 Dated 11.10.2020 (01.07.2020 to 30.09.2020) Bandwith conectivity charge	6,93,250.00
9	TI/20-21/1359 dated 09.03.2021 (Backup and replication Software Bckup or archival software Version 2.0)	1,60,79,742.00
10	93762 Dated 26.02.2021 (One time Implementatoin& Testing Charges 01,10.2020 to 31.12.2020)	30,91,460.00
11	TI/20-21/1361 Dated 10.03.2021 (VM Ware Licence)	98,30,582.00
	TOTAL	4,64,63,989.00

(रू0 चार करोड़ चौसढ लाख तिरसठ हजार नौ सौ नवासी मात्र मात्र)

बराती लाल
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।